VOL- IX | ISSUE- VII | JULY | 2022 | PEER REVIEW e-JOURNAL | IMPACT FACTOR 7.331 | ISSN 2349-638x

महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज

डॉ. राजेन्द्र कुमार
रिसर्च सुपरवाईजर
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर

राजपाल यादव
शोधार्थी
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर

महिला मानव जगत की जननी है। वह समाज के दो पिढ़ियों को जोड़ने वाली एक कड़ी है जो अपने स्नेह, धैर्य, विवेक से सामाजिक जीवन मे सुख समृद्धि की अभिवृद्धि करती है । इसलिए नारी का स्थान समाज मे सर्वोत्तम है प्राचीन राजनीतिक विचारक मनू ने मनूस्मृति मे कहा था कि ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'' अथार्त देवता वहां निवास करते है जहां स्त्रियों का सम्मान होता है। यह वह युग था जब शासन सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में होती थी और वह निरंकुश होकर शासन करता थां ग्रामीण भारत में प्राचिन काल से पंचायत व्यवस्था विद्यमान रही है परन्तु महिलाओं को पंचायत में बैठने की अनुमति नही होती थी। समाज में उनकी स्थिति अधिकाशंत राजा पर निर्भर करती थी प्रागैतिहासिक युग में नारी की स्थिति पुरूष के बराबर ही नही उससे भी श्रेष्ठ थी। ब्राहमणकाल के ग्रन्थों में भी इनहे ब्रह्मा तक कहा गया है। महाकाव्यकाल से भारतीय नारी की स्थिति में गिरावट प्रारंभ हो गयी थी और मध्यकाल तक आते आते विकट स्थिति हो गयी थी नवजागरण व स्वतंत्रता के पश्चात के युग को नारी प्रगति युग कहा जाता है।

महिला सशक्तिकरणः- सशक्तिकरण अंग्रेजी शब्द इम्पॉवरमेंट का हिन्दी रूपान्तरण है इम्पॉवरमेंट शब्द ग्रीक भाषा के इमो (EMPO) शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है ''टू गिव राइट'' (अधिकार प्रदान करना) सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है शक्ति प्रदान करना वही महिलाओं के सशक्तिकरण से अर्थ है स्त्रियों को अधिकार प्रदान करना, समर्थ बनाना और विभिन्न शक्तियों से सम्पन्न करना। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में यह अर्थ संकीर्ण है लेकिन व्यापकता में इसका अर्थ बड़ा ही गूढ़ है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओ को पुरूषों के बराबर वैधानिक,राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक,सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अधिकार देने एवं उन्हे परिवार समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्ता से है। संक्षेप में महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है-

१. संकोच रहित रहना
२. आत्मविश्वास से बात करना और कार्य करना
३. स्वयं की ईमानदारी से देखभाल करना
४. अपनी सामर्थ्य व सीमाओं को जानना
५. अपनी बाधाओं को तोड़कर आगे जाना
६. अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दृढ़ इच्छाशक्ति का विकास करना

पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण :-

भारत में पंचायतों के तीसरे चरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को अधिकार प्रदान करना है ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार कम से कम एक तिहाई महिलायें सभी स्थानीय स्वशासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचीत होगीं जिनमें पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख जिला परिषद सभी स्तर शामिल है। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता न सिर्फ उनकी राजनीतिक सहभागिता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुनिश्चित करने की है बल्कि

उनके विकास संबधी उद्देश्यों को कार्यन्वित करने की है। महिला पंचायती राज संस्थाओं में निम्न रूप से सहभागी हो सकती है:-

१. महिला मतदाता के रूप में
२. राजनीतिक दलों के सदस्य के रूप में
३. प्रत्याशियों के रूप में
४. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य के रूप में
५. महिला मंडलों के सदस्यों तथा स्वंयसेवी संस्थाओं के साथ साझेदारी के रूप में।

पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई संख्या निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण में महिला प्रतिकिनधियों की है। सभी पुरूष जनप्रतिनिधगण एवं अधिकारीगण तथा महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों का यह साझा दायित्व है कि निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों को आवश्यक सम्बल, सहयोग देते हुए उनहे अपने पद की गरीमामय भूमिका निभाने की स्ववंत्र जिम्मेदारी दे उनके कार्य दायित्वों का अतिक्रमण कर परिवार के पुरूष सदस्य उनके आत्मविश्वास एवं नेतृत्व विकास को बाधित न करें बल्कि अपने क्षेत्र की वार्ड सभाओं ,महिला सभाओं व ग्राम सभाओं में सक्रिय महिला भागीदारी बढाने को प्राथमिकता देवें।

७३ वे संविधान संशोधन के पश्चात महिला सशक्तिकरण

७३ वे संविधान संशोधन लागू होने के बाद हुए पंचायत चुनावों के परिणामों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि दलित, आदिवासी, पिछडी जाति आदि वर्ग से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में सभी आर्थिक समूहो की महिलायें सम्मिलित है। जिससे सपष्ट है कि नवीन पंचायती राज व्यवस्था ने सत्ता के जातिय समीकरण को ही नही बल्कि सामाजिक व आर्थिक समीकरण भी बदल दिया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधिम्व मिलने से न केवल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रोजगार गारंटी योजना आदि के क्रियान्वयन में फर्क पड़ा है बल्कि ग्रामीण महिलाएं अधिकारों के प्रति सचेत हुई है उनमें अन्याय, दमन और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत बढी है। उनमें आत्मविश्वास तथा जोश भी आया है ग्रामीण इलाकों में होने वाले रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढी है उनमें राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव भी विकसीत हुआ है।

वास्तविक स्थिति :- यद्यपि ७३ वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढी है किन्तु गांवों में व्यापत जातिवाद, दलबंदी की भावना, अकुशल राजनीतिक नेतृत्व, नौकरशाही की उदासीनता, पंचायतो की निम्न आर्थिक स्थिति, भ्रष्ट्राचार व निजी स्वार्थो की वजह से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नही हो पाया है । निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी के अभाव में प्रायः उन्हे संसाधनों के असमान वितरण, अपने हितों की उपेक्षा तथा अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी और अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जो महिलाएं चुनकर पंचायतों में आती है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नही होता कहीं उनकी बात नही सुनी जाती तो कहीं कहीं उन्हे पंचायत की बैठकों में नही बुलाया जाता है यानि राजनीति व कानुन ने महिलाओं को सत्ता में जो हिस्सेदारी बख्शी है, समाज उसे मान्यता देने के लिए अब भी तैयार नही है। पुरूष प्रधान समाज होने के कारण अगर महिला निर्वाचित भी होती है तो सरपंच पति जैसे पद स्वतः ही सृजित हो जाते है जिनहें आमजन से लेकर अफसरों तक की मान्यता भी रहती है।

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को कारगर बनाने के सुझाव :-

भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि है ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है जब तक महिलायें जागरूक नही होगी तब तक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिया भूमिका नही निभा

सकेंगी। इनकी भागीदारी को कारगर बनाने हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार है।

१. महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षित करना चाहिए जिससे वे पंचायतो का समस्त कार्य आसानी से समझ सकें

२. पंचायती राज की कार्यप्रणाली के विषय में महिलाओं को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जो वर्ष में कम से कम दो बार हो

३. महिलाओं को ७३ वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

४. पंचायतो में महिलाओं की प्रभावकारी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए कानुन द्वारा महिला पंचायतों का गठन किया जाये

५. महिला जन प्रतिनिधियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का सामाजिक स्तर पर सामुहिक विरोध होना चाहिए। तथा इस हेतु उपयुक्त नीतियां एवं कानुनों का निर्माण किया जाना चाहिए।

६.महिला जन प्रतिनिधियों को परिवार द्वारा पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए एवं पंचायत की बैठकों में उन्हें स्वयं को जाने देना चाहिए।

७.जातिगत आधार पर भेदभाव की भावना का अंत होना चाहिए ताकि निम्न जाति की महिला प्रतिनिधि भी पंचायती राज व्यवस्था में निर्भय होकर कार्य कर सके।

७३ वें संविधान ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है परिवर्तन की दिशा बहुत स्पष्ट है अब यह महिलाओं पर निर्भर है कि आरक्षण के इस नए आयोजन में वे सिर्फ इसे सत्ता में हिस्सेदारी की सीढी मानकर संतुष्ट हो जाती है या पंचायतो के माध्यम से अपने गाँव,ब्लॉक और जिलों की तस्वीर बदलने के लिए भी संघर्ष करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. मनुस्मृति ३/५६
2. शर्मा प्रेमनारायण एवं विनायक,वाणीः गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण भारत बुक सेन्टर, लखनऊ २००४
3. शर्मा प्रेमनारायण एवं संजीव कुमार झाः महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास भारत बुक सेन्टर, लखनऊ २००८
4. सेट्टी, ई.डी.एवं मूर्ति पी. कृष्णा
5. कुमार, अरविन्दः पंचायतो के माध्यम से महिला सशक्तिकरण योजना अंक १० अक्टूबर २००८
6. काला,सुधाः पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास का राज, कुरूक्षेत्र वर्ष ५४ अगस्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली २००८
7. सरकार सुमितः आधुनिक भारत (१८८५-१९४७ ई.) राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली १९९३
8. डा.आर पी. जोशी, रूपा मंगलानीः भारत में पंचायती राज, हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर
9. राजस्थान पंचायती राज आमुखीकरण प्रशिक्षण अभियान २०१५-१६ इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर